अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

17 वी प्राधिकरण बोर्ड बैठक
दिनांक 04.01.2021

अध्यक्ष
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

(1)

अविप्रा अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर अविप्रा

क्रमांक / अविप्रा / सचिव / 2020 / 991–1024 दिनांक 04 JAN 2021

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की 17 वी. प्राधिकरण बैठक दिनांक 04.01.2021 अध्यक्ष अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

1. श्री प्रकाश राजपुरोहित , जिला कलक्टर, अजमेर एवं अध्यक्ष अ.वि.प्रा, अजमेर।
2. सुश्री रेणु जयपाल आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. श्री खुशाल यादव, आयुक्त, नगर निगम, अजमेर।
4. श्री कमल पाठक , अध्यक्ष नगर पालिका, पुष्कर।
5. श्री किशोर कुमार, सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण , अजमेर।
6. श्री विकास दीक्षित अति0 मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर।
7. श्री के.एस. सिसोदिया, निदेशक तकनीकी , अ.वि.वि.एन.एल., अजमेर।
8. श्री मदनलाल चौधरी, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एंव आवासन विभाग, जयपुर। (मुख्य अभियंता हेड क्वाटर)
9. श्रीमती सीता वर्मा, आयुक्त एवं प्रशासक ,नगर परिषद् किशनगढ़, अजमेर।
10. श्री पुनीत शर्मा उपनगर नियोजक, अजमेर एवं निदेशक आयोजना, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
11. श्री सी0एल0 जाटव अधिक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर।
12. श्री मनोज कुमार शर्मा अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग रीजन, अजमेर।
13. श्री प्रकाश डूडी , राजस्व अधिकारी प्रथम . नगर निगम, अजमेर।
14. श्री अशोक कुमार चौधरी उपायुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
15. श्री भूपेन्द्र सिंह , तकनीकी सहायक टू अधिक्षण अभियन्ता (ए.सी.सी.), अ.वि.वि.एन.एल. अजमेर।
16. श्री एस.सी. बैरवा , सहायक अभियन्ता, अ.वि.वि.एन.एल. अजमेर।
17. कुमारी मीनाक्षी वर्मा, उपनगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
18. श्री आकाश करनावत, सहायक नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
19. श्री दिलीप सिंह बारेठ , तकनीकी सलाहकार, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यगणों का आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा स्वागत किया गया। स्वागतोपरान्त अजमेर विकास प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 09.10.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना से अवगत करवाया गया । सर्वसम्मति से गत बैठक की पुष्टि की गई।

इसके पश्चात् बिन्दुवार ऐजेण्डा के समस्त बिन्दुओं पर प्राधिकरण की बैठक में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कार्यवाही प्रांरम्भ कर निम्नानुसार चर्चा कर निर्णय लिये गयेः–

आयुक्त महोदया ने एजेण्डा बिन्दुओं पर सबंधित अधिकारियों को एजेण्डा अनुसार अपने–अपने शाखा से सबंधित बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से सदन को अवगत कराने के निर्देश दिये।

(2)

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अविप्रा

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की दिनांक 04.01.2021 को आयोजित 17 वी. प्राधिकरण की बैठक का कार्यवाही विवरणः–

प्रस्ताव संख्या	विवरण	अनुभाग
1	**दिनांक 9.10.2020 को आयोजित प्राधिकरण की 16 वी. बैठक मे लिए गये प्रस्तावों की पुष्टि ।** **निर्णयः–प्राधिकरण की बैठक में समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से गत बैठक दिनांक 09.10.2020 की प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की।**	सचिव
2	**अजमेर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले अजमेर रीजन के क्षेत्र का मास्टर डवलपमेन्ट प्लान बनाकर लागू करने बाबत् प्रस्ताव पर चर्चा ।** राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.09.2013 को अजमेर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया एवं 118 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुये अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम में अजमेर रीजन अधिसूचित किया गया। अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान (नवीन प्रारूप) (अजमेर रीजन) (2013–2033) बनाया जाने के लिए नगरीय क्षेत्र अधिसूचित किया गया। जारी की गयी सूचना में अजमेर विकास प्राधिकरण रीजन के लिये अधिसूचित कुल 118 ग्रामों में से किशनगढ़ मास्टर प्लान – 2031 के 25 ग्राम एवं पुष्कर मास्टर प्लान 2031 के 15 ग्राम कुल 40 ग्रामों को छोड कर शेष 78 ग्रामों को अजमेर मास्टर प्लान में अधिसूचित किया गया है। – (नोटिस दिनांक 10.09.2020 इस अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के लिए अजमेर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 के नवीन प्रारूप पर दिनांक 10.09.2020 से 09.10.2020 तक एक माह की अवधि के लिए आम जनता से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के लिए मास्टर प्लान को अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय के ऑकशन हॉल में प्रदर्शित किया गया जहाँ पर इस मास्टर प्लान को आम जन इसे देखकर समझ सके तथा इस प्लान पर अपने आपत्ति सुझाव प्रस्तुत कर सकें। प्रारूप मास्टर प्लान पर ऑनलाईन भी आपत्ति सुझाव प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान रखा गया। एक माह की अवधि में मास्टर डवलपमेन्ट प्लान (नवीन प्रारूप) अजमेर रीजन 2013–2033 पर 668 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये तथा तय अवधि के पश्चात 24 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये एवं मास्टर प्लान जारी किये जाने से पूर्व 33 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये इस प्रकार से कुल मिलाकर 725 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये है। इन आपत्ति/सुझावों का अध्ययन कर आपत्ति/सुझावों की रिपोर्ट तैयार की गयी है तथा जिन प्रकरणों मे स्थल निरीक्षण किया जाना आवश्यक पाया गया उनका स्थल निरीक्षण किया गया तथा प्राप्त आपत्ति/सुझावों के बारे मे व्यवहारिक दृस्टीकोण अपनाते हुये स्वीकृत किये जाने वाले आपत्ति/सुझावों के परिप्रेक्ष्य में मास्टर प्लान प्रास्तावों में आवश्यक संशोधन कर फाइनल मास्टर प्लान तैयार किया गया है इस फाइनल मास्टर प्लान की रिपोर्ट मय चार नक्शो के प्राधिकरण बैठक में सदस्यों के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। **निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 नवीन प्रारूप पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों एवं अन्य अपेक्षित संशोधन पर चर्चा प्रारम्भ करते हुये विस्तृत रूप से अजमेर रिजन मास्टर डवलपमेंट प्लान के बारे में सदन को अवगत करवाया गया जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–**	निदेशक आयोजना Dilip Singh T.A पुनीत शर्मा निदेशक (आयोजना)

1. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के तहत अजमेर शहर के मास्टर प्लान 2023 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी इस मास्टर प्लान में कुल 67 गावों को नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।

2. वर्ष 2013 को अजमेर में नगर सुधार न्यास के स्थान पर अजमेर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया जिसके क्षेत्राधिकार में कुल 118 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। इस अधिसूचित प्राधिकरण क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किशनगढ़ मास्टर प्लान 2031 के 25 गांव एवं पुष्कर मास्टर प्लान 2031 के 15 गांव भी सम्मिलित है।

3. अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिनियम 2013 के अन्तर्गत किशनगढ़ मास्टर प्लान 2031 के अधिसूचित 25 गांव एवं पुष्कर मास्टर प्लान 2031 के अधिसूचित 15 गांव कुल 40 गावों को छोडते हुये शेष 78 गावों के क्षेत्र के लिए अजमेर शहर के लिए नया मास्टर प्लान बनाये जाने का निर्णय लिया जाकर नये मास्टर प्लान का प्रारूप 2013–2033 तैयार किया गया। इस प्रारूप मास्टर प्लान को अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत अधिसूचना दिनांक 13.12.2013 द्वारा दिनांक 17.12.2013 से दिनांक 20.01.2014 तक 1 माह की अवधि के लिए आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने के लिए प्रदर्शित किया गया। इस मास्टर प्लान प्रारूप पर कुल 173 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये।

4. अजमेर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 प्रारूप पर पुनः 12.03.2018 को 1 माह की अवधि के लिए प्रदर्शित कर, आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये इस बार 150 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए। दोनो बार मास्टर प्लान पर प्राप्त कुल आपत्ति/सुझावों की संख्या 323 हो गयी।

5. नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प10(1) न.वि.वि./3/2013 दिनांक 28.11.2019 के द्वारा अजमेर शहर के प्रारूप मास्टर प्लान 2013–2033 के सम्बंध में प्राप्त आपत्ति/सुझाव रिपोर्ट एवं कमिटमेंट्स आदि को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में वांछित संशोधनों को पूर्व मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाकर नवीन प्रारूप मास्टर प्लान तैयार किये जाने के लिए अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक पश्चिम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया इस समिति द्वारा समिति की आठ बैठकें आयोजित की जाकर दिनांक 31.07.2020 को इस अनुशंषा के साथ मास्टर प्लान को प्राधिकरण में भिजवाया की " अजमेर मास्टर प्लान 2033 प्रारूप को अंतिम रूप देकर अनुमोदन की कार्यवाही प्राधिकरण स्तर पर ही की जानी है।"

Dilip Singh

पुनीत शर्मा
निदेशक (आयोजना)
अ०वि०प्रा०, अजमेर

6. समिति द्वारा कुल आपत्ति/सुझावों में से प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी कुल 86 आपत्ति/सुझावों की मुल रिकार्ड में उपलब्ध आपत्तियों की रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा जिन आपत्ति/सुझाव का मूल रिकार्ड उपलब्ध नही थें उनपर कोई टिप्पणी नही की गयी समिति द्वारा प्रेषित रिपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी तथा समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर चर्चा की गयी। समिति द्वारा मुख्य रूप से मास्टर प्लान 2023 मे दर्शित खुला क्षेत्र, हरा क्षेत्र, सार्वजानिक सुविधा क्षेत्र, खेल का मैदान, बाग इत्यादि को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रीट याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नवीन प्रारूप मास्टर प्लान बनाते समय भी यथावत रखा जाना है। इस क्रम में जिन क्षेत्रों में मौके पर निर्माण हो चुका है उन स्थलों की मौका स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये उक्त क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्र के रूप में अंकित किया जाकर निर्णय राज्य सरकार के अध्यधीन रहेगा के प्रस्ताव दिये गये है। उसके अतिरिक्त कुछ अन्य संशोधन

(4)

	के साथ साथ 24 मीटर एवं उससे अधिक चौडी सड़कों पर मिश्रित भूउपयोग प्रस्तावित किये गये। 7. समिति द्वारा तैयार किया गया अजमेर डवलपमेंट प्लान नवीन प्रारूप अजमेर रीजन 2013–2033 को पुनः नये सिरे से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए नोटिस (आम सूचना) जारी कर दिनांक 10.09.2020 से 09.10.2020 तक एक माह की अवधि के लिए आपत्ति/सुझाव के लिए प्राधिकरण के ऑक्शन हॉल में प्रदर्शित किया गया। साथ ही कोरोना काल होने के कारण मास्टर प्लान प्रारूप पर अखबारों में विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाईन आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किये जाने का विकल्प दिया गया। 8. इस मास्टर प्लान पर निम्न प्रकार से आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये है। निर्धारित समय अवधि के दौरान आपत्ति/सुझाव प्राप्त – 622 ऑनलाईन जरिये ई–मेल प्राप्त आपत्ति/सुझाव – 46 निर्धारित समय अवधि पश्चात प्राप्त आपत्ति/सुझाव – 24 निर्धारित समय अवधि से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझाव – 33 इस प्रकार मास्टर प्लान पर प्राप्त कुल आपत्ति/सुझाव की संख्या 725 हुई जिसमें से 57 आपत्तियां निर्धारित समयावधि से पहले एवं पश्चात प्राप्त हुई उक्त आपत्ति/सुझाव पर भी विचार विमर्श कर सम्पूर्ण रिपोर्ट मे सम्मिलित किया जाना का निर्णय लिया गया। 9. उपरोक्त आपत्ति/सुझावों के क्रम में मुख्य रूप से समिति द्वारा प्रेषित प्रस्तावों अनुसार जिन मुख्य सड़कों पर मिश्रिम उपयोग प्रस्तावित नही किया गया था उन क्षेत्रों पर प्राप्त आपत्ति के क्रम में 24 मीटर से अधिक चौडी सडकों पर आवश्यकतानुसार मिश्रित भूउपयोग प्रस्तावित किया गया है तथा शहर की प्रमुख सड़के जहाँ वर्तमान में मार्गाधिकार बढ़ाया जाना सम्भव है का मार्गाधिकार बढ़ाया गया है। उक्त के अतिरिक्त मास्टर प्लान में डवलपमेंट प्रमोशन एंड केट्रोल रेग्यूलेशन का प्रावधान रखा गया है जिसके अन्तर्गत सड़क की चौडाई के अनुसार विभिन्न भूउपयोग अनुज्ञेय किये गये है। 10. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य आपत्तियों का भी विवरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 11. उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा उपरान्त प्रस्तावित संशोधन को सम्मिलित करते हुए मास्टर डवलपमेंट प्लान (अजमेर रीजन) (2013–2033) को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।	
3	अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए दीपावली के अवसर पर प्राधिकरण में कार्यरत कार्मिकों को तदर्थ बोनस/उपहार को अनुमोदन कराने के क्रम मे चर्चा। राजस्थान राज्य के अन्य विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा वित्तीय वर्ष **2020–21** के लिए दीपावली के अवसर पर प्राधिकरण में कार्यरत कार्मिकों को तदर्थ बोनस/(6,774/–) तथा उपहार हेतु (रू. 15,000/–) एवं मिठाई क्रय करने हेतु रू. 2100/– दिये जाने का निर्णय लिया गया। कार्यरत कार्मिकों को रू. 23,874/– (रू. तेईस हजार आठ सो चौहत्तर मात्र):– भुगतान निम्न शर्तो के आधार पर किये जाने की अध्यक्ष एवं आयुक्त महोदय, की	संस्थापन

पुनीत शर्मा
निदेशक (आयोजना)
अ०वि०प्रा०, अजमेर

	स्वीकृति के आधार पर प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति/प्राधिकरण बोर्ड बैठक में स्वीकृति प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है :– 1. बोनस रु.12 तक के कार्मिक (अधिकारी/कर्मचारी) उपहार एवं मिठाई के लिए पात्र होंगे। 2. आदेश की दिनांक को प्राधिकरण में पदस्थापन (प्रतिनियुक्ति वाले कार्मिकों की स्थिति में) होना आवश्यक है। 3. आनुपातिक बोनस/एक्सग्रेसिया (निलम्बन/अवैतनिक की अवस्था में) नियमानुसार देय होगा। 4. बोनस/एक्सग्रेसिया वित्तीय वर्ष **2020–21** के लिए है। वो कार्मिक जो 31.03.2020 को सेवा में थे एवं 01.04.2020 को भी सेवारत थें उन्हें प्राधिकरण से बोनस/एक्सग्रेसिया देय होगा। 5. ऐसे कार्मिक जो 31.03.2020 को प्राधिकरण में सेवा में थे लेकिन आदेश दिनांक को प्रतिनियुक्ति से वापस राज्य/पैतृक विभाग में चले गये उन्हें प्राधिकरण से बोनस देय नहीं होगा। 6. कार्मिकों जो 31.03.2020 को निलम्बित थे उन्हें बोनस/एक्सग्रेसिया नहीं दिया जावेगा। जांच के निर्णय के अधीन देय होगा। अतः प्राधिकरण में कार्यरत नियमित प्रत्येक अराजपत्रित कर्मचारी (प्रतिनियुक्ति सहित) को दीपावली, 2020 के अवसर पर बोनस के रू 6,774/–(छः हजार सात सो चौहत्तर मात्र) उपहार क्रय करने हेतु रू. पन्द्रह हजार (अंको में रू. 15,000/–) व मिठाई क्रय करने हेतु दो हजार एक सौ मात्र (अंको में 2,100/–) कुल राशि रूपये 23,874/–एवं राजपत्रित अधिकारियों को राशि रूपये 17,100/–का भुगतान किया जा चुका है। उक्त प्रस्ताव को कार्यकारी समिति/प्राधिकरण बोर्ड बैठक से अनुमोदन की अभिशंषा की जाती है। **निर्णयः– बाद विचार विमर्श प्राधिकरण बैठक में समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की**	कुमार चौधरी उपायुक्त अ.वि.प्रा. अजमेर
4	**पृथ्वीराज नगर एवं विजयाराजे सिन्धिया योजना में पेयजल सुविधा के लिए जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग को पंम्पींग स्टेशन के लिए लगभग 3000 वर्गमीटर भूमि निशुल्क आवंटन करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा।** अजमेर विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण योजना पृथ्वीराज नगर एवं विजयराजे सिन्धिया नगर में आमजन को पिछले वर्षो मे भूखण्ड आवंटन किये गये है। उक्त योजनाओ मे पेयजल सुविधा के लिए मुताबिक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अजमेर द्वारा पेयजल प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक स्वीकृति के लिए मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जन. स्वा. अभि. विभाग जयपुर को प्रेषित किय जा चुके है। उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रक्रिया धीन है। जिसकी स्वीकृति आगामी माह मे होने की सम्भावना है। स्वीकृति उपरान्त पेयजल कार्य के टैण्डर आमंत्रित करके उक्त कार्य सम्बधित विभाग द्वारा डिपोजिट मद मे किया जाना प्रस्तावित है। भूमि आवंटन की सहमति प्राधिकरण द्वारा सम्बधित विभाग को दी जा चुकी है। पेयजल कार्य के पम्पीग स्टेशन निर्माण के लिए पृथ्वीराज नगर योजना मे 3000 वर्गमीटर भूमि की मांग अनुसार अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड प्रथम अजमेर को निःशुल्क भूमि आवंटन किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है। **निर्णयः– बाद विचार विमर्श प्राधिकरण बैठक में समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव पर भूमि आवंटन के सबंध में सहमति प्रदान की**	प्रभारी भूमि आवंटन कुमार चौधरी उपायुक्त अ.वि.प्रा. अजमेर

(6)

5

प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र ऊटंडा के लिए भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव पर चर्चा ।

प्रभारी भूमि आवंटन

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर ने पत्र क्रमांक/सामान्य/भवन/2019 /11102 दिनांक 06.11.2019 एवं चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊंटड़ा ने अपने पत्र क्रमांक 54 दिनांक 06.11.2019 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊंटड़ा के लिए ग्राम ऊंटड़ा के खसरा नम्बर 1772 रकबा 4.15 हैक्टयर मे से 3 से 5 बीघा भूमि आवंटन हेतु पत्र प्रस्तुत किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊंटड़ा के चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप प्रपत्र 'स' मे आवेदन दिनांक 06.11.2019 को किया गया है।

श्री यतीन्द्र कुमार वैष्णव पटवारी ए.डी.ए द्वारा ग्राम ऊंटड़ा के खसरा नम्बर 1772 का मौका निरीक्षण किया गया, मौके पर भूमि रिक्त है एवं खसरा नम्बर 1831, 1827, 1780 व 1773 किस्म गै.मु रास्ता से पहुँच मार्ग उपलब्ध है एवं प्रस्तावित खसरा नम्बर 1772 रकबा 4.15 हैक्टयर किस्म बारानी सिवायचक से अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित भूमि है।

खसरा नम्बर 1772 बाबत् न्याययिक बाद के सम्बन्ध मे विधि शाखा की गई टिप्पणी के अनुसार उक्त खसरा नम्बर पर कोई वाद लम्बित नही है एवं ए.टी.पी. शाखा द्वारा की गई टिप्पणी अनुसार खसरा नम्बर 1772 आबादी के अन्तिम सीमा से 500 मीटर की परिधी प्रस्तावित खसरे का आंशिक हिस्सा आता है। प्रस्तावित भूमि जो नक्शे मे लाल स्याही मे दर्शाई गई है जो 500 मीटर की सीमा मे आती है। जिसमे आबादी विस्तार किया जा सकता है। खसरा नम्बर 1772 के सम्बन्ध मे भूमि अवाप्ति शाखा द्वारा की गई टिप्पणी अनुसार उक्त भूमि अवाप्त नही की गई है।

अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की बैठक दिनांक 13.12.2017 के प्रस्ताव संख्या 2017–(3) द्वारा गठित कमेटी संस्थागत भूमि आवंटन सम्बन्धी सभी लम्बित प्रकरणो का परिशीलन कर बोर्ड की शक्तियो का उपयोग करते हुए भूमि निष्पादन नियम 1974 व भूमि आवंटन नियम 2015 की पालना करते हुए अधिकृत किया गया है। उपरोक्त कमेटी बोर्ड की अवंटन सीमा की प्रकरणो मे उचित निर्णय लेकर आवंटन कर सकेगी।

बोर्ड की अवंटन सीमा से अधिक के प्रकरणो को भी वाद परीक्षण मय अनुशंषा के राज्य सरकार को प्रेषित करने के लिए भी उपरोक्त समिती को अधिकृत किया गया है

नवीन आवंटन नीति 2015 के सम्बन्घ मे नगरीय विकास विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक/एफ–3 (55) नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 से प्राधिकरण को अपने स्तर पर 4000 वर्गमीटर भूमि का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को निशुल्क भूमि का आवंटन करने की शक्तियां दी गई है। एवं इस सीमा से अधिक भूमि आवंटन की स्थिति मे प्रस्ताव बनाकर मय औचित्य के राज्य सरकार को भिजवाये जाने का आदेश मे अंकन है।

अतः कार्यकारी की समिति मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊटड़ा के लिए खसरा नम्बर 1772 रकबा 4.15 हैक्टयर मे से 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था व आगामी प्राधिकरण की बोर्ड मिटिंग मे रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

अतः प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊटड़ा के लिए भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव सादर प्रस्तुत है।

निर्णयः– बाद विचार विमर्श प्राधिकरण बैठक में समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव पर भूमि आवंटन के सबंध में सहमति प्रदान की

उपायुक्त

क्र.सं.	विषय	जिम्मेदारी
6	**इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड़ (अजमेर मंडल कार्यालय) अजमेर को रिफ्यूल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) हेतु भूमि आंवटन बाबत् प्रस्ताव पर चर्चा।**	प्रभारी भूमि आवंटन

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 अजमेर के पेट्रोल पम्प स्वीकृति पत्र क्रमांक एडीओ /एजी5/ आरओ/15/9 दिनांक 24.06.2016 के क्रम मे श्रीमति रीना सिसोदिया पत्नि श्री राहुल सिसोदिया निवासी जयपुर द्वारा प्राधिकरण के निर्धारित प्रपत्र "ब" में आवेदन कर कोटडा वार्ड 1 व 2 में 20X20 मीटर अर्थात 400 वर्गमीटर न्यूनतम भूखण्ड आईओ.सी पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु मांग की गई। आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदन शुल्क राशि 5000/– रूपये प्राधिकरण कोष में जमा कराये गये है।

आवंटन नीति–2015 में पेट्रोल पम्प हेतु भूमि आवंटन किये जाने का कोई प्रावधान नियत नही किया गया है किन्तु श्रीमान संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10 (12) नविवि/32011 जयपुर दिनांक 25.04.2017 के द्वारा भारत सरकार के पेट्रोलियम ओर प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा फ्यूल रिटेल आउटलेट स्थापित करने में समुचित भूमि की उपलब्धता के क्रम में राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार "सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कम्पनियों को रिटेल आउटलेट स्थापित करने के उद्देशय से मास्टर प्लान में उक्त प्रयोजनार्थ अनुज्ञ भूमि का आवंटन किया जा सकता है। यह आवंटन व्यवसायिक आरक्षित दर के दुगनी दर पर किया जाऐगा। ऐसी भूमियों का उपयोग संबंधित ऑयल कम्पनियों को केवल फ्यूल रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने के प्रयोजनार्थ किया जाऐगा।" के निर्देश जारी किये गये है साथ ही निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप भूमि चिन्हित कर ऑयल कम्पनियों की मांग पर आवंटित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

नियोजन शाखा ने प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 420 रकबा 06–19–10 बीघा भूमि जिसका मौका अनुसार प्राधिकरण की कोटडा आवासीय योजना में मंगलम अपार्टमेन्ट के पास अनुमोदित योजना के व्यवसायिक आरक्षित भूमि में से चिन्हित कर 20X20 मीटर भूमि पेट्रोल पम्प हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2017 के क्रम में भूमि प्रस्तावित कर नियमानुसार आवंटन कार्यवाही किये जाने की अनुशंषा प्रस्तुत की गई है। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक कार्यवाही दिनांक 31.03.2016 से कोटड़ा आवासीय योजना में 01.04.2016 से आरक्षित दर 3468/– वर्गमीटर निर्धारित की गयी साथ ही जिन योजनाओं में व्यावसायिक व आवासीय मय व्यावसायिक भूखण्ड है, उनकी दर 01.04.2016 से अनुमोदित आरक्षित दर की दुगुनी कर व्यावसायिक मानी जावेगी, का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार कोटड़ा आवासीय योजना में व्यावसायिक दर 3468 गुणा 2 बराबर 6936 रूपये प्रति वर्गमीटर का निर्णय पारित माना गया है।

प्रबन्धक (खुदरा बिक्री) इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 अजमेर के पत्र क्रमांक एडीओ/आरएस/ कोटड़ा दिनांक 05.10.2017 के क्रम में भूमि के वास्तविक मूल्य एंव किस मुल्य पर भूखण्ड उपलब्ध होगा से संबंधित सूचना चाही गई जिस क्रम में प्राधिकरण की लेखा शाखा द्वारा व्यावसायिक आरक्षित दर 6936 गुणा 2 बराबर 13872 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से 400 वर्गमीटर का वास्तविक मूल्य 13872 गुणा 400 बराबर 5548800/– रूपये तथा लीज राशि दर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से 8 वर्ष की एक मुश्त राशि 1109760/– रूपये कुल राशि 66,58,560/– रूपये की लेखा जांच पश्चात प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 17929 दिनांक 17.11.2017 से प्रबन्धक (खुदरा बिक्री) इण्डियन ऑइल कोरपोरेशन लि0 अजमेर को सूचित किया गया है।

प्राधिकरण की संस्थागत भू–आवंटन हेतु गठित कमेटी की बैठक दिनांक 27.09.2018 मे प्रकरण को समिक्षार्थ एवं परिशिलनार्थ रखा गया जिसमे प्रस्ताव संख्या 2018–1 (15) से श्रीमान शासन सचिव–तृतीय राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10 (12) नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 25.04.2017 अनुसार आवेदक प्रार्थीया को पेट्रोल पम्प हेतु भूमि आवंटन कराये जाने हेतु पात्रता नही रखने के कारण आवंटन किया जाना संभव नही है। यदि प्रकरण में उक्त निर्देश के क्रम मे नीति अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप 'ब' मे आई.ओ.सी.एल द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रकरण आगामी बैठक मे पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है, का निर्णय लिया गया।

इस हेतु सूचना आवेदिका को पत्रांक 19227 दिनांक 04.02.2019 से सूचित कर दिया गया है। वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 (विपणन विभाग) अजमेर मण्डल कार्यालय अजमेर द्वारा निर्धारित प्रारूप 'ब' मे कोटडा आवासीय योजना मे उपरोक्तानुसार 20X20 अर्थात 400 वर्गमीटर भूमि इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड़ (अजमेर मंडल कार्यालय) अजमेर को रिफ्यूल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) हेतु भूमि आंवटन करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्राधिकरण की संस्थागत भू–आवंटन हेतु गठित कमेटी की बैठक दिनांक 27.09.2018 प्रस्ताव संख्या 2018–1 (15) मे लिये गये निर्णय अनुसार इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड़ (अजमेर मंडल कार्यालय) अजमेर को रिफ्यूल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) हेतु कोटड़ा आवासीय योजना मे वाणिज्यक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि मे से 20X20 अर्थात 400 वर्गमीटर भूमि नियोजना शाखा द्वारा चिन्हिकरण अनुसार व प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओ की आरक्षित दरो हेतु निर्धारित दर अवधि 01.04.2019 से 31.03.2022 के अनुसार कोटड़ा आवासीय योजना की आवासीय दर 3815/– की दुगनी अर्थात 7630 रूपये प्रति वर्गमीटर के अनुसार आवंटन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मे विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

अशोक कुमार चौधरी
उपायुक्त
प्रा०वि०प्रा०, अजमेर

निर्णयः– बाद विचार विमर्श प्राधिकरण बैठक में समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव पर नियमानुसार राशि गणना की जाकर प्रार्थी से प्राप्त कर भूमि आवंटन पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की

7	**अजमेर जिले के पत्रकार श्री पंकज यादव भू.स. 1569 कोटडा को बदलकर अन्य स्थान पर पुनः भूखण्ड आवंटन करने बाबत् प्रस्ताव पर चर्चा ।** पत्रकारो को भूखण्ड आवंटन हेतु दिनांक 27.06.2012 को निकाली गई लॉटरी द्वारा कोटडा आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 1569 क्षेत्र. 175.50 वर्गमीटर का आवंटन पत्रकार पंकज यादव के नाम निकला। दिनांक 26.07.2012 को नगर सुधार न्यास द्वारा भूखण्ड की लीज डीड व कब्जा पत्र जारी किया। प्रार्थी को इस भूखण्ड के सम्बन्ध में दिनांक 24.01.2013 को लीज मुक्ति प्रमाण जारी हुआ। इस भूखण्ड के सम्बन्ध में भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.07.2014 को जारी हुआ। दिनांक 22.07.2016 को प्रार्थी द्वारा आवंटित भूखण्ड का माप कम होने एवं आवंटित भूखण्ड पर 13–14 फीट का गड्डा होने का कारण बताकर कॉर्नर वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन की मांग की गई। दिनांक 01.09.2016 को प्रार्थी का प्रकरण वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन समिति की बैठक में रखा जाकर समिति द्वारा वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन की अभिशंशा की गई। तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा भूखण्ड की वास्तविक स्थिति के क्रम में तत्कालीन उपायुक्त, अधिशाषी अभियंता एवं सहायक अभियंता की सयुक्त टीम का गठन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। पैरा 56 पर गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड की गहराई सडक लेवल से 2 मीटर – 2.5 मीटर होने एवं भूखण्ड का क्षेत्रफल 175.50. मीटर के स्थान पर 166.50 वर्गमीटर उपलब्ध होने एवं भूखण्ड के आगे नाली व संडक निर्मित होना अवगत कराया है। कमेठी की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा पैरा 58 पर प्रार्थी का वैकल्पिक भूखण्ड का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। आयुक्त महोदय के निर्णय के विरुद्व प्रार्थी द्वारा स्थाई लोक अदालत में परिवाद दायर किया गया दायर परिवाद में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2019 के अनुसार अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह जाहिर किया गया की इस मामले को अजमेर विकास प्राधिकरण, अमजेर की बोर्ड बैठक के समक्ष यथा शीघ्र रखा जाकर समुचित निर्णिय लिये जाने के आधार पर प्रकरण निर्णित किया गया। स्थाई लोक अदालत के निर्णय के क्रम में प्रकरण को कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11.02.2020 में रखा गया। आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार प्रार्थी का भूखण्ड स्थानान्तरण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है अतः प्रकरण को प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णयार्थ रखा जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 09.10.2020 में रखा गया । बोर्ड बैठक दिनांक 09.10.2020 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट चाही गई है जो निम्नानुसार है:– 1. आवटित भूखण्ड के स्थान पर अन्य भूखण्ड दिया जाना उचित है या नही । 2. गड्डे के आधार पर भूखण्ड बदल सकते है या नही । 3. प्रकरण को वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन समिति के समक्ष रखकर प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 09.10.2020 में लिये गये निर्णय अनुसार चाही गई रिपोर्ट के क्रम में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:– 1. आंवटित भूखण्ड के स्थान पर अन्य वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन के क्रम में वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन समिति द्वारा दिनांक 01.09.2016 को वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन की अभिषंशा की गई। जिसको तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया। 2. गड्डे के आधार पर भूखण्ड परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में नियमों में कोई	प्रभारी भूमि आवंटन अशोक कुमार चौधरी उपायुक्त अ.वि.प्रा., अजमेर

प्रावधान नही है।

पूर्व में गड्डे के आधार पर श्री गिरिश दाधीच को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या 1621 क्षेत्रफल 112.50 वर्गमीटर के स्थान पर शासन उपसचिव तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 30.01.2013 के क्रम में श्री गिरिश दाधीच को 1621 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 1684 क्षेत्रफल 175.50 वर्गमीटर का आवटित किया गया एवं श्री सचिन मुदगल को भूखण्ड संख्या 1633 क्षेत्रफल 112.50 वर्गमीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या 1571 क्षेत्रफल 175.50 वर्गमीटर आवटित किया गया

3. यह प्रकरण वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन समिति के समक्ष दिनांक 01.09.2016 को रखा जाकर निर्णित किया जा चुका है जिसमें आवटन की अनुंषशा की गई है। जिसे तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया है। समिति द्वारा साथ ही सर्वसमिति से कॉर्नर भूखण्ड आवटन किये जाने के सम्बन्ध में निम्न तीन बिन्दुओं पर अभिषशां की गई है जो की निम्नानुसार हैः–

1. वैकल्पिक भूखण्ड आवटन की दशा में यदि वर्तमान भूखण्ड के क्षेत्रफल में पूर्व भूखण्ड के क्षेत्रफल से वृद्वि होती है तो बढने वाले क्षेत्रफल की दर उस भूखण्ड के सामने उपलब्ध रोड की ही चौडाई वाली अन्य रोड पर पिछले छः माह में कोई में उच्चतम दर पर नीलाम भूखण्ड की दर से देय होगी। यदि समान चौडाई की रोड पर पिछले छः माह में कोई भूखण्ड नीलाम नही हुआ है तो अन्य अधिक चौडी रोड पर नीलाम भूखण्ड की दर से देय होगी। उक्त निर्णय पूर्व के ऐसे प्रकरणों पर भी लागू होगा जिसमे मांग राशि जमा आज दिवस तक अभाव है।

2. विवादित नॉन कॉर्नर भूखण्ड के स्थान पर यदि रिक्त अविवादित नॉन कॉर्नर भूखण्ड उपलब्ध नही है तो ऐसे मामलों में न्यायालय निर्णय या विशेश परिस्थितियों में कॉर्नर भूखण्ड भी दिया जा सकता है, लेकिन कार्नर भूखण्ड होने पर वर्तमान नीलामी दर की 10 प्रतिशत राशि पूरे भूखण्ड की पृथका से देय होगी व अतिरिक्त क्षेत्रफल की दर भी नीलामी की दर. 10 प्रतिशत राशि देय से होगी।

यदि पूर्व में किन्ही कारणों से सहवन से नॉन कॉर्नर भूखण्ड के स्थान पर कॉर्नर भूखण्ड का आवंटन हो गया है ऐसे भूखण्ड का परिवर्तन नॉन कॉर्नर भूखण्ड के रुप में सम्भवतः किया जावे। यदि ऐसा परिवर्तन किसी कारणों से सम्भव नही हो तो कॉर्नर भूखण्ड के परिणाम स्वरुप वर्तमान निलामी दर का 10 प्रतिशत पूरे भूखण्ड के क्षेत्रफल की अतिरिक्त राशि एवं क्षेत्रफल बढने पर बढे हुये क्षेत्रफल की वर्तमान निलामी दर. 10 प्रतिशत कॉर्नर भूखण्ड का अतिरिक्त दर ली जाकर कॉर्नर भूखण्ड यथावत रखा जा सकता है।

इस बाबत सम्पूर्ण रिपोर्ट उपायुक्त उत्तर के द्वारा प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णयः– बाद विचार विमर्श प्राधिकरण बैठक में समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से श्री पंकज यादव के भूखण्ड परिवर्तन के प्रस्ताव पर नियमानुसार भूखण्ड आवंटन पर सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की

क्र.	विषय	
8	**पत्रकारों को पूर्व में आवंटित भूखण्डों को अन्य कॉलोनियों में स्थानान्तरित करने हेतु प्रकरण बनाकर राज्य सरकार को मार्ग दर्शन हेतु भेजने बाबत्।**	प्रभारी भूमि आवंटन

निर्देशानुसार पत्रकारों हेतु पंचशील नगर योजना में भूमि चिन्हित की गई। पंचशील नगर योजना Bravia Hotel के पीछे झलकारी बाई स्मारक से लगती हुई भूमि का मौका मुआयना करवाया गया। प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि लगभग 2520 वर्गमीटर उपलब्ध है। योजना नक्शे से देखने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि open land के अन्तर्गत आ रही है। open land में भूखण्डों की planning किया जाना संभव नही है। अतः पत्रकारों हेतु अन्य भूमि चिन्हिकरण की कार्यवाही बाबत् प्रयासरत है। अन्य भूमि चिन्हिकरण के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्टः–

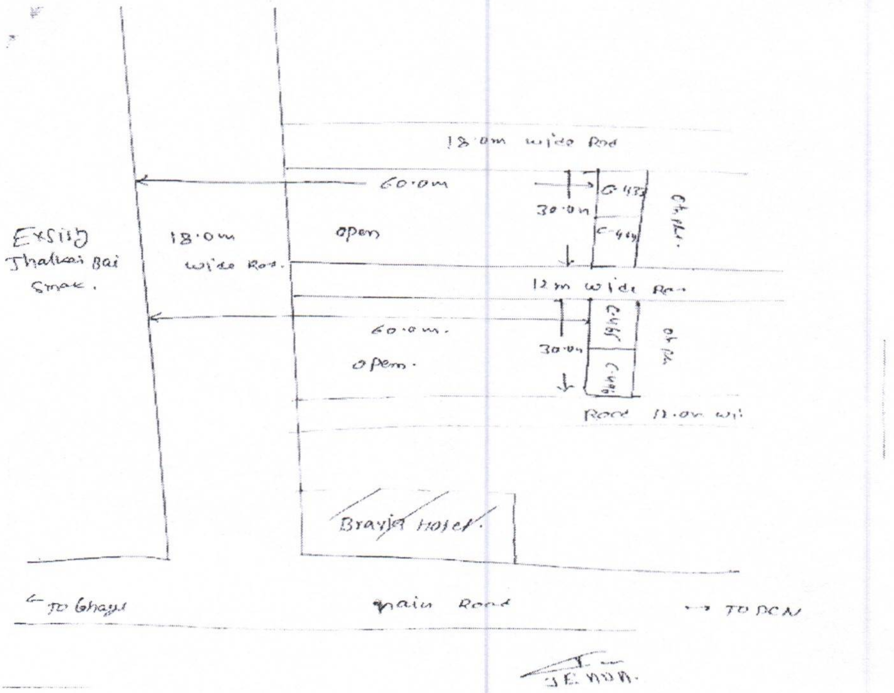

इस बाबत सम्पूर्ण रिपोर्ट उपायुक्त उत्तर के द्वारा प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

बैठक में श्री अशोक चौधरी प्रभारी अधिकारी भूमि आवंटन ने अवगत कराया कि प्राधिकरण की पिछली बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार हमने भूमि का चयन कर लिया था मगर उपरोक्तानुसार चयनित भूमि ओसीएफ में आती है। अतः इसे आवंटन नही किया जा सकता इसके लिए भूमि आवंटन शाखा को कम से कम एक माह का समय प्रदान किया जाये ताकि भूमि को चयनित करते हुये उक्त कार्यवाही की जा सकें।

निर्णयः– बाद विचार विमर्श प्राधिकरण बैठक में समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से अन्य स्थान पर नियमानुसार भूमि चयन किया जाकर, भूमि पर प्लान बनाया जाकर राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजने हेतु सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की।

बैठक में आयुक्त महोदया ने समस्त पधारें हुये सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया।
अन्त में बैठक सहधन्यवाद समाप्त घोषित की गई।
यह बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

सचिव,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

क्रमांक / अविप्रा / सचिव / 2020 / 991–1024 दिनांकः– 04 JAN 2021

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, अध्यक्ष महोदय, अजमेर विकास प्राधिरकरण, अजमेर।
3. महापौर नगर निगम, अजमेर।
4. जिला प्रमुख, जिला परिषद, अजमेर।
5. निजी सहायक, जिला कलक्टर, अजमेर।
6. स्थानीय वृत अधीक्षण अभियंता, अजमेर विघुत नगर निगम लिमिटेड, अजमेर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग / सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर।
8. उप आवासीय आयुक्त, अजमेर संभाग, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. सभापति, नगर परिषद किशनगढ़।
10. अध्यक्ष नगर पालिका, पुष्कर, अजमेर।
11. वरिष्ठ, नगर नियोजक , नगर नियोजन कार्यालय, अजमेर।
12. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
13. निजी सहायक, सचिव महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
14. उपायुक्त,(उत्तर / दक्षिण / पुष्कर / किशनगढ़) , अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
15. निदेशक वित्त / विधि / आयोजना / अभियांत्रिकी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
16. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
17. अधिक्षण अभियंता (,(उत्तर / दक्षिण / पुष्कर / किशनगढ़) , अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
18. समस्त अधिशाषी अभियंता, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
19. भूमि अवाप्ति अधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
20. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
21. तहसीलदार, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
22. सहायक नगर नियोजक (I,II,III), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
23. प्रभारी अधिकारी संस्थापन / भू–अभिलेख / नियमन / योजना (I,II,III), / नियोजन / कच्ची बस्ती / लेखा शाखा / लेखा वसूनी / विधि / तकनीकी शाखा अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
24. सहायक प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–II, (O.S.), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

(... कुमार)

सचिव,

अजमेर विकास प्राधिकरण,

अजमेर।